राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं राज. जयपुर

क्रमांकः–नर्सिंग/नर्स–2(M)/1038/2019/ दिनांकः–

आदेश

श्री प्रकाश डांगी, नर्स–2 अधीक्षक, पन्नाधाय राजकीय महिला चिकित्सालय, उदयपुर को तिरूपति कॉलेज ऑफ नर्सिंग, उदयपुर से एम.एस.सी. (नर्सिंग) प्रशिक्षण सत्र 2019–20 हेतु निम्नांकित शर्तो के अध्याधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है–

1. नियमानुसार अध्ययन अवकाश/अवकाश स्वीकृत कराना होगा।
2. उक्त प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार/विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा।
3. प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत अपनी उपस्थिति विभाग में प्रस्तुत करेगे ।
4. कार्मिक प्रशिक्षण के पश्चात किसी भी प्रकार की पदोन्नति, वित्तीय लाभ अथवा उच्च वेतनमान की मांग नहीं करेगा।
5. राजस्थान सेवा नियमों में उल्लेखित प्रावधानो की पूर्ण पालना की जावेगी।
6. नियमानुसार बंध–पत्र तथा शपथ पत्र भरना होगा।
7. पूर्व में कार्मिक ने राज्य सेवा में कार्यरत रहते हुऐ पोस्ट बेसिक बी.एससी. नर्सिंग प्रतिनियुक्ति पर की है, प्रतिनियुक्ति अवधि को वित्त विभाग के निर्देशानुसार अध्ययन अवकाश नहीं माने जाने के कारण इन्हें एम0एससी0 (नर्सिंग) प्रशिक्षण स्वयं के बकाया अवकाश (उपार्जित/अर्द्धवैतनिक/असाधारण) पर यह प्रशिक्षण करना होगा एवं इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि वे यह अध्ययन अवकाश स्वयं के बकाया अवकाश (उपार्जित/अर्द्धवैतनिक असाधारण) पर करेगें ।अध्ययन अवकाश या प्रतिनियुक्ति की मांग नहीं करेगें।
8. उक्त कोर्स में चयन होने पर नियमानुसार स्वंय बकाया अवकाश स्वीकृत कराकर प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त होगे ।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः–नर्सिंग/नर्स–2(M)/1038/2019/ 919 दिनांकः– 12/12/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन उदयपुर ।
2. अधीक्षक, पन्नाधाय राजकीय महिला चिकित्सालय, उदयपुर को उनके पत्र क्रमांक 1667 दिनांक 11.12.2019 के क्रम में ।
3. प्रधानाचार्य, तिरूपति कॉलेज ऑफ नर्सिंग, उदयपुर को उनके पत्र क्रमांक 39 दिनांक 19.09. 2019 के क्रम में ।
4. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर आदेश अपलोड करें।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर